



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)

**MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION**  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/सं.शा./2026/.....1111.....

भोपाल, दिनांक 24/06/2026

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय:-विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर के विद्युत संयंत्रों के वार्षिक संधारण अनुबंध(AMC) हेतु कंसल्टेंसी बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर के विद्युत संयंत्रों के वार्षिक संधारण अनुबंध (AMC) हेतु निविदा दस्तावेज तैयार किये जाने, राशि निर्धारण करने, नियमानुसार निविदा कार्यवाही पूर्ण कराये जाने से लेकर चयनित फर्म को कार्यदिश व अनुबंध निष्पादित किये जाने तक के लिए कंसल्टेंसी सर्विस लिया जाना है। इस हेतु फर्म "अ" श्रेणी विद्युत ठेकेदार होने के साथ - साथ इस प्रकार के कंसल्टेंसी सर्विस प्रदान करने अथवा संधारण कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव की पात्रता का मानदंड निर्धारित है।

अतः यदि आप इस कार्य के लिये इच्छुक एवं पात्र हैं, तो पत्र जारी होने के दिनांक से 7 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय परिसर एवं विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण कर "कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल" के नाम बंद लिफाफे में अपना प्रमाणित विस्तृत व्यय प्रस्ताव, Scope of Work, अपनी "अ" श्रेणी विद्युत ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की छायाप्रति व पांच वर्ष के अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित विश्वविद्यालय के संधारण शाखा में जमा करें।

(प्रो. पी. शशिकला)

प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 24/06/2026

क्रमांक/सं.शा./2026/.....1112.....

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, कुलगुरु मा. च. रा. प. एवं. संचार वि. वि. को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक, कुलसचिव मा. च. रा. प. एवं. संचार वि. वि. को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. वित्ताधिकारी, मा. च. रा. प. एवं. संचार वि. वि. को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर जारी किये जाने हेतु।

(प्रो. पी. शशिकला)

प्रभारी कुलसचिव